न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, खागा फतेहपुर।

CNR No. UPFT–1200–2534–2026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–369/2026

सरकार बनाम योगेश कुमार गुप्ता उर्फ नितिन

मु०अ०सं०–431/2025

धारा– 305,331,317(2),112 बी०एन०एस०

थाना खागा, जिला फतेहपुर

05.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त योगेश कुमार गुप्ता उर्फ नितिन की ओर से मु०अ०सं० 431/2025, धारा– 305,331,317(2),112 बी०एन०एस०, थाना खागा, जिला फतेहपुर के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी का संक्षेप में कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है। कथित वाद की एफ.आई.आर. 16.05.2026 को अज्ञात में दर्ज करायी गयी है जबकि घटना 14.05.2026 की कही जाती है उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गई है। जो भी बरामदगी पुलिस के द्वारा दिखायी गयी है वह वादी मुकदमा के सांठ गांठ करके पुलिस गुडवर्क दिखाने के उद्देश्य से फर्जी बरामदगी प्रार्थी के पास दिखाया है, जो कि बिल्कुल झूठ है। प्रार्थी के ऊपर जितने भी अपराध लगाये गये हैं सभी अपराध 7 वर्ष की सजा के प्रावधान के हैं और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। सम्बन्धित थाना राधानगर फतेहपुर में दर्ज अ०सं० 87/2026 में प्रार्थी की जमानत न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से दिनांक 29.05.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी अपनी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अपराध की प्रकृति अजमानतीय बतायी तथा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर वादी मुकदमा के घर का ताला तोड़कर घर से सोने व चांदी के आभूषण एवं पैसे की चोरी करने तथा अभियुक्त के पास से चोरी किये हुए आभूषण व पैसों की बरामदगी का गंभीर अभियोग है, जो अजमानतीय है। प्रकरण से सम्बन्धित विवेचना विचाराधीन है। ऐसे में अभियोग की प्रकृति, मामले के तथ्य व परिस्थितियों, अभियोग की गम्भीरता के दृष्टिगत इस स्तर पर बिना गुण दोष पर मत व्यक्त किए न्यायालय अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त नहीं पाती है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त योगेश कुमार गुप्ता उर्फ नितिन द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 369/2026, धारा–305,331,317(2),112 बी०एन०एस० निरस्त किया जाता है।

दिनांक–05.06.2026

(शुभ्रा प्रकाश)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाह्य न्यायालय खागा, फतेहपुर।